

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 996/2024
अनवान : -

1. महेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह जाति सुथार निवासी नोहर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र पनाराम जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. बनवारी पुत्र पनाराम जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. रामजस पुत्र भादर जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. सतपाल पुत्र अमरसिंह जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
5. मंजूबाला पुत्री अमरसिंह जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 28/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 25/168 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि विरासतन दर्ज हुई है तथा पारिवारिक राजीनामा मुताबिक यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को सभी को समान रूप से प्राप्त हुई थी जिसमें राजस्व रिकार्ड में दोनो खातों में कम ज्यादा दर्ज हो गयी है जिसे सही दर्ज करवाना चाहते है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 पुत्र व पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक राजीनामा रोही मौजा मालिया के खाता स0 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 3 बीघा भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2

ai

उपखण्ड अधिकारी
नोहर


का 47/477 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुताबिक समझौता दर्ज नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 के 0.171 व प्रतिवादी संख्या 2 के 0.171 यानि दोनो के नाम कुल 1.07 बीघा भूमि कम दर्ज है जो की प्रतिवादी संख्या 3 के 0.342 हैक्ट भूमि अधिक दर्ज है तथा रोही मौजा मालिया तहसील नाहर के खाता स0 1059 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में वादी का 25/168 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के 0.172 हैक्ट अधिक है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के 0.344 हैक्ट कम दर्ज है लेकिन वर्तमान में दोनो खातो में भूमि कम ज्यादा कर रखा है जो सही नहीं है। पारिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब प्राप्त हुई थी जो राजस्व रिकार्ड में सही जानी आवश्यक है। हिस्सा सही दर्ज नहीं होने के कारण से वादी को भारी परेशानी हो रही है। अतः रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि मं से प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा के स्थान पर 1.2989 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा 1.299 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 57240 हिस्सा के स्थान पर 1.298 हैक्ट सही दर्ज किया जावे व खाता स0 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 25/168 हिस्सा के स्थान पर 1.6708 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/13 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि सही दर्ज की जावे। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तथा हिस्सा कस्सी सही करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश कि जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।



उपस्थ अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि विरासतन दर्ज हुई है तथा पारिवारिक राजीनामा मुताबिक यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को सभी को समान रूप से प्राप्त हुई थी जिसमें राजस्व रिकार्ड में दोनो खातों में कम ज्यादा दर्ज हो गयी है जिसे सही दर्ज करवाना चाहते है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 पुत्र व पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक राजीनामा रोही मौजा मालिया के खाता स0 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 3 बीघा भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुताबिक समझौता दर्ज नही है प्रतिवादी संख्या 1 के 0.171 व प्रतिवादी संख्या 2 के 0.171 यानि दोनो के नाम कुल 1.07 बीघा भूमि कम दर्ज है जो की प्रतिवादी संख्या 3 के 0.342 हैक्ट भूमि अधिक दर्ज है तथा रोही मौजा मालिया तहसील नाहर के खाता स0 1059 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में वादी का 25/168 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के 0.172 हैक्ट अधिक है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के 0.344 हैक्ट कम दर्ज है लेकिन वर्तमान में दोनो खातो में भूमि कम ज्यादा कर रखा है जो सही नही है। पारिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब प्राप्त हुई थी जो राजस्व रिकार्ड में सही जानी आवश्यक है। हिस्सा सही दर्ज नही होने के कारण से वादी को भारी परेशानी हो रही है। अतः रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि मं से प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा के स्थान पर 1.2989 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा 1.299 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 57240 हिस्सा के स्थान पर 1.298 हैक्ट सही दर्ज किया जावे व खाता स0 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 25/168 हिस्सा के स्थान पर 1.6708 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/13 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि सही दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


 ज्यज्ज अधिकारी
 नोहर


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स० 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 25/168 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा तथा रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स० 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त भूमि विरासतन दर्ज हुई है तथा पारिवारिक राजीनामा मुताबिक यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 को सभी को समान रूप से प्राप्त हुई थी जिसमें राजस्व रिकार्ड में दोनो खातों में कम ज्यादा दर्ज हो गयी है जिसे सही दर्ज करवाना चाहते हैं। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एवं प्रतिवादी संख्या 4, 5 पुत्र व पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक राजीनामा रोही मौजा मालिया के खाता स० 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 3 बीघा भूमि पर वादी काबिज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी स० 1 काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स० 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुताबिक समझौता दर्ज नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 के 0.171 व प्रतिवादी संख्या 2 के 0.171 यानि दोनो के नाम कुल 1.07 बीघा भूमि कम दर्ज है जो की प्रतिवादी संख्या 3 के 0.342 हैक्ट भूमि अधिक दर्ज है तथा रोही मौजा मालिया तहसील नाहर के खाता स० 1059 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में वादी का 25/168 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के 0.172 हैक्ट अधिक है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के 0.344 हैक्ट कम दर्ज है लेकिन वर्तमान में दोनो खातो में भूमि कम ज्यादा कर रखा है जो सही नहीं है। पारिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी स० 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब प्राप्त हुई थी जो राजस्व रिकार्ड में सही जानी आवश्यक है। हिस्सा सही दर्ज नहीं होने के कारण से वादी को भारी परेशानी हो रही है। अतः रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स० 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि मं से प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा के स्थान पर 1.2989 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा 1.299 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 57240 हिस्सा के स्थान पर 1.298 हैक्ट सही दर्ज किया जावे व खाता स० 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 25/168 हिस्सा के स्थान पर 1.6708 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/13 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि सही दर्ज की

 उपर्युक्त अधिकारी
नोहर

जावे, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा के स्थान पर 1.2989 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा के स्थान पर 1.299 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 हिस्सा के स्थान पर 1.298 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता स0 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 25/168 हिस्सा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 को 0.911 हैक्ट भूमि का व वादी को 0.759 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 996/2024

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह जाति सुथार निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अमरसिंह पुत्र पनाराम जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
2. बनवारी पुत्र पनाराम जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
3. रामजस पुत्र भादर जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
4. सतपाल पुत्र अमरसिंह जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
5. मंजूबाला पुत्री अमरसिंह जाति सुथार निवासी मालिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 996 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता स0 81/84 की कुल 11.4480 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का 11279/114480 हिस्सा के स्थान पर 1.2989 हैक्ट भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 का 47/477 हिस्सा के स्थान पर 1.299 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 8201/57240 हिस्सा के स्थान पर 1.298 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता स0 140/59 की कुल 12.3840 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 25/168 हिस्सा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 को 0.911 हैक्ट भूमि का व वादी को 0.759 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा के स्थान पर 1.376 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर